गदर आन्दोलन 1912

- अविनाश जायसवाल

गदर का अर्थ-अंग्रेजी दृष्टिकोण

"गदर शब्द का अर्थ है - विद्रोह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रान्ति लाना है। जिसके लिए अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र करना आवश्यक है। गदर पार्टी का हैड क्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया है और यह पार्टी "गदर" नाम का एक समाचार पत्र भी छापती है। इसने एक "युगान्तर आश्रम" नाम से एक संस्था भी स्थापित की है, जिसका कार्य युवा भारतीयों में देशभक्ति की भावना फैलाना है और उन्हें विद्रोह के लिए प्रशिक्षित करना है।" - (डायरेक्टर आर्फ द इन्टेलिजेंस ब्यूरौ, होम डिपार्टमेंट, नई दिल्ली 1934)

"गदर या विद्रोह के षड्यंत्र का मूल बिन्दू अमरीकी प्रशांत सागर का तटीय भाग है। इसका केन्द्र सैन फ्रांसिस्को में है। गदर नामक पत्र का उद्देश्य भारत में कुछ वर्षो में ही क्रान्ति लाना है क्योंकि भारत के लोग अंग्रेजी राज के दमनात्मक और अत्याचारी कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि युगान्तर आश्रम की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई है। इस संस्था में किताबें छापी जाती हैं, युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है और हमले की तैयारी की जाती है। यह प्रकृति से हिंसात्मक व अंग्रेज विरोधी है। यह जुनून फैलाने के वह सभी कार्य करने को तैयार है जिनसे भारतियों में उत्तेजना बढे और भारतीय भारत में हत्या व क्रान्ति के दृष्टिकोण से आयें और ब्रिटिश हकुमत को खदेड़ दें।" -(एकाउंट ऑफ गदर कांस्प्रेसी, पंजाब पुलिस, लाहौर 1919)

ब्रिटिश हकुमत ने गदर के नेताओं के विरूद्ध फौजदारी मुकदमों में 25 लाख डॉलर खर्च किये। इससे गदर के आंदोलन के महत्व का अनुमान हो जाता है। सैन फ्रांसिस्को की अदालत में अभियोजन पक्ष ने गदर के संदर्भ में यह कहा -

"बचावपक्ष के लोगों ने 1914 में, जबकि युरोपियन युद्ध का प्रारम्भ ही हुआ था, भारत से ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने, विद्रोह करने का षड्यंत्र रचा। जिससे भारत में विद्रोह बढे। इसके लिए बचावपक्ष ने षड्यंत्र के तहत अमरीका में कुछ लोगों को नियुक्त किया, जिससे असलाह और बारूद की अमरीका में ट्रेनिंग दी जा सके। उन्होने प्रशिक्षित लोगों को भारत भेजा, अवैध रूप से भारत की भूमि में सीमा से प्रवेश करवाया। इनका एक स्थान इकट्ठा होना और पुन: कुछ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षित करने की योजना इस षड्यंत्र का भाग है। इन कार्यों के लिए धन का कार्य भी अमरीका में ही हुआ। असलाह व बारूद की खरीद और जलमार्ग के ट्रांसपोर्ट से लदान का माध्यम अमरीका बना।" - (प्रोसिक्यूशन आर्फ गदर राइट्स एण्ड इन द यू.एस., सैन फ्रांसिस्को 1917)

गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसके अतिरिक्त केसर सिंह थथगढ - उपाध्यक्ष, लाला हरदयाल - महामंत्री, लाला ठाकुर दास धुरी - संयुक्त सचिव और पण्डित कांशी राम मदरोली - कोषाध्यक्ष थे।

स्थापना के बाद गदर पार्टी की पहली बैठक सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में दिसम्बर 1913 में आयोजित की गयी। इसमें कार्यकारिणी के सदस्यों की घोषणा भी की गयी। जो कि इस प्रकार है-

करतार सिंह सराभा, संतोख सिंह, अरूड़ सिंह, पृथी सिंह, पण्डित जगत राम, करम सिंह चीमा, निधान सिंह चुघ, संत वसाखा सिंह, पण्डित मुंशी राम, हरनाम सिंह कोटला, नोध सिंह थे। गुप्त और भूमिगत कार्यो के लिए एक कमेटी बनायी गयी जिसमें सोहन सिंह भाकना, संतोख सिंह और पण्डित कांशी राम सदस्य थे।

गदर पार्टी ने अपना पत्र "गदर" निकाला जिसमें ब्रिटिश हकुमत का खुला विरोध किया गया। गदर नामक पत्र हिन्दी, पंजाबी, उर्दु और अन्य भारतीय भाषाओं में छापा जाता था। युगान्तर आश्रम गदर पार्टी का मुख्यालय था। यहीं से गदर पार्टी ने एक पोस्टर छापा था जिसे पंजाब में जगह जगह चिपकाया भी गया था। इस पोस्टर पर लिखा था - "जंग दा होका" अर्थात युद्ध की घोषणा।

गदर के नेताओं ने निर्णय लिया कि अब वह समय आ गया है कि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उसकी

सेना में संगठित विद्रोह कर सकते हैं। क्योंकि तब प्रथम विश्वयुद्ध धीरे-धीरे करीब आ रहा था और ब्रिटिश हकुमत को भी सैनिकों की बहुत आवश्यकता थी। नेतृत्व ने भारत वापिस आने का निर्णय लिया। अगस्त 1914 में बड़ी रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया गया। जिसमें सभी हिन्दुओं से कहा गया कि वे हिन्दुस्तान की ओर लौटें और ब्रिटिश हकुमत के विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह में भाग लें। इस प्रकार गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाकना जो कि जापान में थे ने भारत आने का निर्णय लिया। उन्होने बड़ी सावधानी से अपनी योजना को तैयार किया। ब्रिटिश हकुमत के दुश्मनों से मदद प्राप्त करने के लिए गदर पार्टी ने बरकतुल्लाह को काबुल भेजा। कपूर सिंह मोही चीनी क्रान्तिकारियों से सहायता प्राप्त करने के लिए सुन-यत सेन से मिले। सोहन सिंह भाकना भी टोकियो में जर्मन कांउसलर से मिले। तेजा सिंह स्वतंत्र ने तुर्कीश मिलिट्री अकादमी में जाना तय कर लिया ताकि प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके। गदर पार्टी के नेता पानी और जल के रास्ते भारत पहुंचना चाहते थे। इसके लिए कामागाटा मारू, एस. एस. कोरिया और नैमसैंग नाम के जहाजों पर हजारों गदर नेता चढकर भारत की ओर आने लगे।

लगभग 8 हजार गदर सदस्य भारत विद्रोह के लिए लौट रहे थे और उनका पहुंचना 1916 तक तय था। देहरादून में भाई परमानन्द ने घोषणा की कि 5 हजार गदर सदस्य उनके साथ आयें। लेकिन बीच की किसी कमजोर कड़ी के कारण यह सूचना ब्रिटिश हकुमत तक पहुंच गयी। उन्होने युद्ध की घोषणा वाले पोस्टरों को गंभीरता से लिया। सितम्बर 1914 को सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया जिसके तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे भारत में दाखिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकेंगे भले ही वह भारतीय मूल का क्यों न हो। पहले बंगाल और पंजाब की राज्य सरकारों को यह अधिकार दिये गये और इसके लिए लुधियाना में एक पूछताछ केन्द्र भी स्थापित किया गया। कामागाटा मारू के यात्री इस अध्यादेश के पहले शिकार बने। सोहन सिंह भाकना और अन्य लोगों को नैमसैंग जहाज से उतरते समय गिरफ्तार कर लिया गया और लुधियाना लाया गया। वे गदर सदस्य जो पोसामारू जहाज से आये थे वे भी पकड़े गये। उन्हें मिंटगुमरी और मुल्तान की जेलों में भेज दिया गया। जो जमानत पर छूट गए। भारत में गदर के जवानों ने दूसरे क्रान्तिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिये। इनमें से कुछ ने बंगाल और उत्तर प्रदेश में रेव्यूलूसनरी पार्टी ऑफ इण्डिया (1917) गठित की। विष्णु गणेश पिंगले, करतार सिंह सराबा, रास बिहारी बोस, भाई परमानन्द, हाफिज अब्दुला आदि क्रान्तिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अमृतसर को कन्ट्रोल सेन्टर के रूप में प्रयोग किया गया। उसे गदर पार्टी ने बाद में लाहौर स्थानान्तरित कर दिया। 12 फरवरी 1915 को गदर पार्टी ने निर्णय लिया कि विद्रोह और क्रान्ति का दिन 21 फरवरी 1915 होगा। पूरी रणनीति को मियां मीर, फिरोजपुर, मेरठ, लाहौर और दिल्ली की फौजी छावनियों में लागू किया गया था। कोहाट, बन्नू और दीनापुर में भी विद्रोह उसी दिन होना था। करतार सिंह सराबा को फिरोजपुर को नियंत्रण में लेना था। पिंगले को मेरठ से दिल्ली की ओर बढना था। डाक्टर मथुरा सिंह को फ्रंटियर के क्षेत्रों में जाना था। निधान सिंह चुघ, गुरमुख सिंह और हरनाम सिंह को झेलम, रावलपिंडी और होती मर्दान जाना था। भाई परमानन्द जी को पेशावर का कार्य दिया गया था। दुर्भाग्य से ब्रिटिश हकुमत को अपने एजेंटों के माध्यम से क्रान्ति की खबर लग गयी। गदर के नायकों ने विद्रोह की तिथि में 21 फरवरी के स्थान पर 19 फरवरी करके परिवर्तन कर दिया। परन्तु ब्रिटिश प्रशासन ने तीव्रता दिखाते हुए कार्य किया और भारतीय सेना को बिना हथियार का बना दिया। बारूद के गोदामों पर कब्जा कर दिया इसके बाद गदर पार्टी के बहुत से नेता और योजक गिरफ्तार हो गये। उन्हें लाहौर में कैद कर लिया गया। 82 गदर नेताओं के ऊपर मुकदमा चला जिसे **लाहौर कांस्प्रेसी केस** कहा गया। 17 गदर सदस्यों को भगोड़ा घोषित किया गया।

पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिटिश हकुमत से विशिष्ट कानूनी प्रावधानों की मांग की जिसके तहत कोर्ट में अपील की व्यवस्था न हो सके। अंग्रेज सरकार ''डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल'' का प्रावधान लेकर आयी जिसके तहत गदर नेताओं के विरूद्ध झटपट निर्णय हो सके। 13 सितम्बर 1915 को 24 गदर नेताओं को मौत की सजा सुनाई गई शेष को उम्र कैद दी गयी। 25 अक्टूबर 1915 को दूसरे लाहौर कांस्प्रेसी केस में 102 गदर नेताओं का मुकदमा प्रारम्भ हुआ, जिसका निर्णय 30 मार्च 1916 को हुआ, जिसके तहत 7 को फांसी की सजा दी गयी, 45 को उम्रकैद और अन्यों को 8 महीने से 4 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गयी।

गदर पार्टी के महान नेताओं सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल आदि ने जो कार्य किये, उसने भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियों को उत्प्रेरित किया।●